**भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण**
भारत सरकार
**Warehousing Development and Regulatory Authority**
Government of India

**फाइल सं. डबल्यूडीआरए/2015/1-2 (12) टैक-II** **दिनांक 27.04.2017**

**परिपत्र सं. 01/ टैक-II/2017**

**विषय:- भांडागारों के पंजीकरण/ पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदक / भांडागारपाल द्‌वारा ली जाने वाली बीमा पॉलिसियों के संबंध में**

1. भंडागारण (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2007 की धारा 11(1) (के) तथा भंडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (परक्राम्य भंडारण रसीद) विनियम के खंड 4 (2) में प्रावधान है कि आग, बाढ़, चोरी, सेंधमारी गबन, दंगे फसाद, हड़ताल या आतंकवाद की घटनाओं के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए भांडागार के लिए भांडागार रसीदों में बीमा कंपनी का नाम अवश्य होना चाहिए।
2. भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के खंड 17 में प्रावधान है कि प्राधिकरण की निन्म्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार भांडागार का पर्याप्त रूप से बीमा होने तक भांडागार (रों) का पंजीकरण/ नवीकरण नहीं किया जाएगा। भांडागार में जमा किए गए माल के संबंध में आवेदक या भांडागारपाल के बीमा कवर में कम से कम निम्नलिखित शामिल होंगे:-
   (क) आग
   (ख) बाढ़
   (ग) सेंधमारी
   (घ) गबन; और
   (ङ) दंगे फसाद और हड़ताल
3. चूंकि भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 में भवन बीमा का प्रावधान नही है, प्राधिकरण द्‌वारा यह निर्णय लिया गया है कि भांडागारों के पंजीकरण/ नवीकरण के लिए भवन बीमा आवश्यक नहीं होगा।
4. अतः प्राधिकरण द्‌वारा दिनांक 06.04.2016 के परिपत्र सं. 01/टैक-II/2016 द्‌वारा जारी बीमा मानकों के अधिक्रमण में आवेदक भांडागारपाल द्‌वारा पंजीकरण के लिए भांडागार द्‌वारा जमा किए गए जमा किए जाने वाले माल के वीरुद्ध निम्नलिखित बीमा पॉलिसियाँ लेने की आवश्यकता होगी:-

**(क)** **<u>स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी</u>**

I. घोषणा पॉलिसी के लिए एक या एक से अधिक स्थानों के लिए न्यूनतम बीमित राशि 01 करोड़ रुपए तथा इनमे कम से कम एक स्थान पर बीमित राशि 25 लाख रुपए से कम नही होगी। वह भांडागार जिसमें स्टॉक का मूल्य 01 करोड़ रुपए से कम है, उसे घोषणा की सुविधा के बिना स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी लेनी होगी।

**II.** **घोषणा (डिक्लेरेशन) पॉलिसी:** घोषणा पॉलिसी के बारे में, स्टॉक का औसत मूल्य 20,000/- रुपए प्रति टन तथा औसत क्षमता उपयोग 60% लिया जाएगा। चूंकि भांडागारपाल द्वारा प्रति माह, बीमा कंपनी को स्टॉक मूल्य घोषित करना आवश्यक है, मूल्य में घटत-बढ़त स्वतः कवर हो जाएगी।

**III.** **अघोषित (नॉन डिक्लेरेशन) पॉलिसी:** जहाँ तक नॉन डिक्लेरेशन पॉलिसी का संबंध है, स्टॉक का औसत मूल्य 20,000/- रु. प्रति टन लिया जाएगा। यदि भांडागार में गेहूँ, चावल/ धान, जौ, ओट, मक्का, ज्वार, तथा मोटे अनाज भंडारित हो रहे है/ भंडारित करने का प्रस्ताव है तो इन वस्तुओं को छोडकर अन्य वस्तुओं को भंडारण के मामले में स्टॉक का मूल्य भंडारित/ भंडारित की जाने वाली वस्तुओं के औसत मूल्य के आधार पर होगा। नॉन डिक्लेरेशन पॉलिसी के अन्य सभी मामलो में, बीमित मूल्य की गणना भंडारण क्षमता के पूरे उपयोग (100%) के अनुसार की जाएगी।

**IV.** नए भांडागारों के लिए कोई अलग प्रावधान नही होगा। उन्हे उपर्युक्त (ii) या (iii) का अनुपालन करना होगा।

**V.** एक से अधिक भांडागार परिचालित करने वाले भांडागारपाल के लिए, बीमित राशि की गणना पॉलिसी की प्रकृति के अनुसार उपर्युक्त (ii) या (iii) के अनुसार की जाएगी।

VI. जिन क्षेत्रो को सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (एसएफ़एससी) के अधीन अधिसूचित किया गया है, उन क्षेत्रों मे भांडागारों द्वारा आवश्यक रूप से आतंकवाद कवर लिया जाएगा।

**(ख) <u>सेंधमारी पॉलिसी</u>**

सेंधमारी पॉलिसी की आवश्यताएं निम्नानुसार होंगी:-

| क्रम सं. | विवरण | बीमित राशि |
|---|---|---|
| 1) | 5000 टन भंडारण क्षमता तक | स्टॉक के मूल्य का 20% |
| 2) | 5001 से 25000 टन | 2.0 करोड़ रु + 5000 टन से ऊपर का 10% |
| 3) | 25001 से 50000 टन | 6.0 करोड़ रु + 25000 टन से ऊपर मूल्य का 5% |
| 4) | 50001 से 100000 टन | 8.5 करोड़ रु + 50000 टन से ऊपर मूल्य का 0.25% |
| 5) | 1 लाख टन से ऊपर | 8.75 करोड़ रु + 1 लाख टन से अधिक का 0.15 % लेकिन बीमित राशि के लिए 15 करोड़ रु की कैप के अधीन |

**टिप्पणी:** उपर्युक्त बीमित राशि की गणना 20,000/- रु (बीस हज़ार रुपए केवल) प्रति टन के हिसाब से की गई है। यदि स्टॉक का उच्च मूल्य होगा तो, गणना वस्तु के बाज़ार मूल्य के अनुसार की जाएगी।

**(ग) <u>सत्यनिष्ठा गारंटी बीमा पॉलिसी</u>**

सत्यनिष्ठा गारंटी बीमा पॉलिसी की आवश्यकता इस प्रकार होगी:-

| क्रम सं. | विवरण | बीमा राशि |
|---|---|---|
| 1. | कम्पनियो आदि सहित 1 लाख टन भंडारण क्षमता वाले भांडागार | फायर पॉलिसी में बीमित राशि का 10% लेकिन अधिकतम 20 करोड़ रुपए |
| 2. | कम्पनियो आदि सहित 1 लाख टन से अधिक भंडारण क्षमता वाले भांडागार | 20 करोड़ रुपए |

आवेदक/ भांडागारपाल पॉलिसी के अंतर्गत कवर किए सभी भांडागारों के सभी व्यक्तिगत कर्मचरियों के नामो का उल्लेख करते हुए सामूहिक सत्यनिष्ठा गारंटी पॉलिसी अथवा पोजीशन जिसमे भांडागारों कि पोजिशन का उल्लेख किया गया हो, ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त समूहिक

सत्यनिष्ठा गारंट, जहाँ केवल कर्मचारियों कि संख्या का उल्लेख किया गया है, प्राधिकरण द्वारा स्वीकार्य होगी।

5. जहाँ तक कोल्ड स्टोरेज का संबंध है , उपर्युक्त तीन पॉलिसियों के अतिरिक्त बिजली अपूर्ति ठप्प हो जाने के कारण स्टॉक तथा संयंत्र को तथा आग एवं अन्य घटनाओं से मशीनों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा पॉलिसी लेनी होगी।
6. भांडागारण सेवा प्रदाताओ (डबल्यूएसपी) के मामले में जिनके पास एक से अधिक भांडागार है, प्रत्येक भांडागार का नाम तथा पता एवं भंडारण क्षमता का विवरण पॉलिसी दस्तावेज में शामिल होना चाहिए। पंजीकृत की जाने वाली क्षमता के लिए कोई अलग पॉलिसी लिए जाने तक डबल्यूएसपी के भांडागारों की पूरी क्षमता कवर की जानी चाहिए।
7. एसएफ़एसपी के अधीन ली गई घोषणा (डिक्लेरेशन) पॉलिसी के मामले में भांडागारपाल द्वारा बीमा कम्पनियों को प्रस्तुत मासिक स्टॉक मूल्यांकन में प्राधिकरण को भेजना होगा। यदि स्टॉक के मामले में वृद्धि की वजह से अतिरिक्त बीमा कवर लिया जाता है तो, उसकी प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी ताकि भांडागारों में संग्रहित स्टोर के बीमा कवरेज की पर्याप्तता का पता लगाया जा सके।
8. भांडागारपाल को उपर्युक्त के अनुसार बीमा कवर लेना होगा। डबल्यूडीआरए स्वयं बीमा अथवा कॉर्प्स फंड के अधीन भांडागारों का पंजीकरण नहीं करेगा।

**डॉ. आर. के. त्रिपाठी**
**निदेशक (तकनीकी)**

वितरण:-

1. प्रबंध निदेशक, केंद्रीय भंडारण निगम
2. प्रबंध निदेशक, सभी राज्य भंडारण निगम
3. सभी डबल्यू एस पी
4. सभी पंजीकृत निजी भांडागार
5. सभी पंजीकृत पीएसीएस भांडागार
6. सूची के अनुसार निरीक्षण एजेंसियाँ
7. गार्ड फाइल

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (प्रशा. एवं वित्त) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की इस परिपत्र को डबल्यूडीआरए की वेबसाइट पर डालें।